संख्या- 2/4310/24-1-13-17 पीसी/2001टीसी-1

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 दिसम्बर, 2013

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन एवं उपादान संबंधी प्रसुविधा दायित्वों के निर्वहन हेतु प्राविधानित धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त) एवं ट्रस्टी, उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट के पत्र संख्या-1873/ट्रस्ट/बी-1, दिनांक 16.12.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के सामान्य बजट में उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट के मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 10,00,00,00,000/- (रूपये दस अरब मात्र) एवं अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 5,00,00,00,000/- (रूपये पॉच अरब मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपये 15,00,00,00,000/- (रूपये पन्द्रह अरब मात्र) का प्राविधान किया गया है। सामान्य बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 10,00,00,00,000/- (रूपये दस अरब मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1162/24-1-13-17पीसी/01-टी0सी0-1, दिनांक 11.04.2013 द्वारा रूपये 10,00,00,00,000/- (रूपये दस अरब मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2013 से माह फरवरी, 2014 तक प्रति माह रूपये 83,00,00,000/- (रूपये तिरासी करोड़ मात्र) की ग्यारह किस्तें तथा माह मार्च, 2014 में रूपये 87,00,00,000/- (रूपये सत्तासी करोड़ मात्र) की बारहवीं किस्त के रूप में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। शासनादेश संख्या- 2069/24-1-13-17पी/01 टी0सी0-1, दिनांक 12.06.2013 द्वारा माह फरवरी एवं माह मार्च, 2014 की किस्तें क्रमशः रूपये 83,00,00,000/- (रूपये तिरासी करोड़ मात्र) एवं रूपये 87,00,00,000/- (रूपये सत्तासी करोड़ मात्र) अर्थात कुल रूपये 1,70,00,00,000/- (रूपये एक अरब सत्तर करोड़ मात्र) को माह जून, 2013 में आहरित किये जाने एवं शासनादेश संख्या- 2616/24-1-13-17पीसी/01 टी0सी0-1, दिनांक 01.08.2013 द्वारा माह दिसम्बर, 2013 एवं माह जनवरी, 2014 में प्रत्येक माह में आहरित किये जाने वाली धनराशि रूपये 83,00,00,000/- (रूपये तिरासी करोड़ मात्र) अर्थात कुल रूपये 1,66,00,00,000/- (रूपये एक अरब छाछठ करोड़ मात्र) माह अगस्त, 2013 में अग्रिम धनराशि आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2- अब अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 500,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र) में से शासनादेश संख्याः- 3706/24-1-13-17पीसी/01-टी0सी0-1, दिनांक 31.10.2013 द्वारा धनराशि रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अब अबशेष धनराशि रू0 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) में से रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए माह दिसम्बर, 2013 में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

http://srisanadesh.up.nic.in

4- प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु सचिव, उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट या उनके द्वारा प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल को ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने का दायित्व सचिव, ट्रस्ट का होगा तथा वह नियत समय पर उपलब्ध करायेंगो

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ-01-सिविल- आयोजनेत्तर-200-अन्य पेंशन- 03-राज्य विदयुत परिषद के विघटन पूर्व कार्यरत/ सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक सुविधायें- 33-पेंशन/अनुतोषित/अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-यू0ओ0-229/दस-2013, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 4310(1)/24-1-13, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ-226024
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in